संख्या: रैव-बी-ए(3)-9/2021
तारीख शिमला-2
31-05-2022

## अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्चित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है; अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) नियम, 2022 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकारों-अभिलेख) अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;
(ख) "क्षेत्र पुस्तंक" (फील्ड बुक) से प्ररूप-"क" में अनुरक्षित पुस्तक अभिप्रेत है और यह स्थायी अधिकारों के अभिलेख का हिस्सा होगी;
(ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
(ड.) "उप-विभाजित सर्वेक्षण इकाई" से सर्वेक्षण इकाई का कोई भाग अभिप्रेत है जो एक पृथक इकाई बनाता है और जो प्रमुख (मूल) संख्या के अंश द्वारा संख्याकित की गई है।
(2) उन शब्दों और पदो के जोड़ इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
3. सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति-- राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत कानूनगो और पटवांरी अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु कमशः सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होंगे।
(2) अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (2) के अधीन उपबंधित किन्हीं कार्यों और कृत्यों का जब किसी अधिसूचित अभिकरण द्वारा निर्वहन किया जाता है तो ऐसा अभिकरण इस प्रकार किए गए कार्यो और कृत्यों के लिए सर्वेक्षण अधिकारी समझा जाएगा।
(3) मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी एक से अधिक ऐसें सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा, जैसे प्रत्येक आबादी के लिए अपेक्षित हों।
(4) यदि किसी आबादी देह के लिए एक से अधिक सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तो मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी आबादी देह का क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगा जिसके लिए ऐसे प्रत्येक सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण संचालित किया जाना है।
4. ग्रामीण समिति,- किसी आबादी के भीतर सामान्य प्रयोजनों के लिए निर्धारित सर्वेक्षण इकाईयों और सामान्य क्षेत्रों के स्वामित्व की पहचान करने के लिए सात से अनधिक सदस्यों से गठित ग्रामीण समिति को सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में नाममिर्दिष्ट किया जाएगा:-
(क) किसी ग्राम की दशा में, ग्राम पंचायत का प्रधान या उसके नामनिर्देशिती के रूप में पंचायत का सम्बद्व वार्ड सदंस्य; और किसी शहरी स्थानीय निकाय की दशा में, महापौर या शहरी स्थानीय निकाय का अध्यक्ष या शहरी स्थानीय निक़ाय का सम्बद्व पार्षद या बार्ड सदस्य;
(ख) ग्राम या नगरपालिका क्षेत्र का नम्बरदार जिसके स्थायी अधिकार-अभिलेख तैयांर किए जाने है; और
(ग) ग्राम या नगरपालिका निकाय की आबादी देह का कोई अन्य सम्मानीय निवासी जो उचित समझा जाएः
परन्तु ग्रामीण समिति में कम से कम एक महिला और अनुसूचित जाति प्रवर्ग से एक व्यक्ति - सम्मिलित किया जाएगा।
5. माप.- अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए माप की मूल इकाई मीटर प्रणाली में होगी और सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्र वर्ग मीटर में भी वर्णित किया जाएगा।
6. स्थायी अधिकारों-अभिलेख र्की तैयार करने के लिए सर्वेक्षण इकाइयों की भूमि. आवास और निवास क्षेत्रों में प्रवेश,- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी और उसके आदेशाधीन कार्य कर रहा कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में आबादी देह क्षेत्र के निवासियों को पूर्व नोटिस के पश्चात् सर्वेक्षण इकाइयों की भूमि. आवास और निवास क्षेत्रों में प्रवेश कर सकेगा।
(2) सर्वेक्षण अधिकारी,- (i) ग्राम में घोषणा के द्वारा;
(ii) किसी राजस्व संपदा या किसी शहरी स्थानीय निकाय के आबादी देह में किसी सहजदृश्य स्थान पर नोटिस का चसपान करके; और
(iii) ग्राम पंचायत के प्रधान या शहरी स्थानीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष/प्रधान को सूचना देकर सर्वेक्षण इकाइयों की सीमाओं, निशानदेही, माप लेने और संख्याओं की पहचान करने के प्रयोजन के लिए आबादी देह क्षेत्र में उसके आगमन की तारीख की राम्यक् सूचना दे सकेगा और प्रचार कर सकेगा।
(3) सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए,- (क) साधारण बैठक में निवासियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करेगा;
(ख) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए नक्शे के आधार पर प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के क्षेत्र का माप लेगा, सीमाओं की निशानदेही और अभिलेखन करेगा तथा प्ररूप "क" में क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) में इन्हे अभिलिखित करेगा;
(ग) आबादी-देह में सर्वेक्षण इकाइयों की संख्या एक से प्रारम्भ करके अंकों में क्रमानुसार क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित करेगा; और
(घ) सर्वेक्षण इकाई का प्रकार जैसे कि भवन, गली, दुकान, संस्थागत भवन, खुला क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र और मार्ग वर्णित करेगा।
(4) सर्वेक्षण इकाई के क्षेत्र, सीमा और प्रकार को अवधारित करते हुए सर्वेक्षण अधिकारी हितबद्व व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे दस्तावेज या लेखन पर विचार कर सकेगा जो सर्वेक्षण इकाई की सीमा, क्षेत्र या प्रकार को दर्शाता या अवधारित करता हो और उसके आधार पर माप सकेगा और अभिलेख तैयार कर सकेगा।
(5) सर्वेक्षण अधिकारी इस नियम के अधीन तैयार किए गए अभिलेख को प्ररूप "क" में क्षेत्र पुस्तकें (फील्ड बुक) के साथ संकलित करेगा उसे सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को स्थायी अधिकारों-अभिलेख को तैयार करने हेतु प्रस्तुत करेगा।
7. स्वत्वधारियों के अधिकारों का अभिलेखन,- सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी ग्रामीण समिति की सहायता से और हितबद्व पक्षकारों को सुनने के पेंश्चात्,
(i) किसी स्वत्वधारी या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा सर्वेक्षण इकाई में उसके दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए ऐसे सुसंगत औरं तात्विक दस्तावेज या लेखन पर विचार करेगा जिसे वह न्यायसंगत और उचित समझे;
(ii) यदि किसी सर्वेक्षण इकाई को उपविभाजित किया गया पाया जाता है, त़ो उस सर्वेक्षण इकाई के उपविभाजित भाग को $1 / 1,1 / 2,1 / 3,1 / 4 ; 2 / 1,2 / 2$, $2 / 3,2 / 4 ; 1 / 1 / 1,1 / 1 / 2,1 / 1 / 3,1 / 1 / 4$ इत्यादि में ऐसे चिहित

करेगा जैसे उपयुक्त और उचित समझा जाए और प्रत्येक उपविभाजित सर्वेक्षण इकाई के क्षेत्र का अभिलेखन करेगा; और
(iii) संक्षिप्त रीति में अभिलेख तैयार करेगा और प्ररूप "ख" में आबादी-देह क्षेत्र के किसी सहजदृश्य स्थान पर स्वत्वधारियों की प्रस्तावित प्रविष्टियों और सर्वेक्षण इकाईयों में उनके स्वत्वधारी अधिकारों तथा नियत दिवस को ऐसी उपविभाजित सर्वेक्षण इकाइयों को प्रदर्शित करेगा।
8. आक्षेपों का समाधान,- (1) नियम 6 के अधीन सर्वेक्षण इकाई द्वारा तैयार किया गया सीमाकन, सीमा और क्षेत्रफल सहित सर्वेक्षण नक्शा और किसी सर्वेक्षण इकाई में आक्षेप, यदि कोई है/ हैं; को आमन्त्रित करने के प्रयोजन के लिए नियम 7 के अधीन प्ररूप "ख" में स्वत्वधारियों की प्रविष्टियों का अभिलेख सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा गांव में किसी एक या एक से अधिक सहजदृश्य स्थान (स्थानों), जैसे, यथास्थिति, पंचायतघर, ग्राम सहकारिता-सोसाइटी, पटवारखाना, धर्मशाला, सामुदायिक केन्द्र या. ग्राम या शहरी स्थानीय निकायों में ॰सामूहिक धार्मिक स्थानों (स्थालों) में प्रदर्शित किया जाएगा।
(2) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अभिलेख की प्रतियां किसी कृत्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से अभिस्वीकृति के विरूंद्वं ग्राम पंचायत के प्रधान या शहरी स्थानीय निकाय के मेयर / अध्यक्ष/प्रधान को दी जाएगी।
(3) अधिन्यिम की धारा 11 के अधीन फाइल किए गए आक्षेप, यदि कोई है/ हैं, प्ररूप "ग" में सहायक अभिलेख्रन और समाधान अधिकारी के समक्ष फाइल किया जाएगा/किए जाएंगे ।
(4) प्राप्त हुए या फाइल किए गए आक्षेप (आक्षेपों) को इनकी प्राप्ति की तारीख सहित एक पृथक रजिस्टर में क्रमबद्व क्रम में कमांकित किया जाएगा।
(5) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन आक्षेपों के फाइल करने से तीस दिन की अवधि के. अवसान पर सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी प्राप्त हुए या फाइल किए गए आक्षेपों की संख्या को प्रमाणित करेगा और इस निमित्त अभिलेखन और समाधान अधिकांरी को एक र्रिपोर्ट भेजेगा।
(6) सहायक अभिलेखन और समाधांन अधिकारी आक्षेपों पर विचार करेगा और ऐसी जांच, जो यह उपयुक्त समझे, संचालित करेगा तथा प्रत्येक आक्षेप की बाबत धारा 11 की उप धारा (2) के अधीन एक आख्यापक आदेश पारित करेगा।
(7) उपरोक्त उप-नियम (6) के अंधीन आदेश पारित करते समय स्थलीय (क्षेत्र), सीमा या किसी सर्वेक्षण इकाई के आयाम में किया गया कोई सुधार या संशोधन सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा स्थलीय क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) में प्ररूप "क" में लाल स्याही से सम्मिलित किया जाएगा।
 अभिलिखित प्रविष्टियों की बाबत यदि कोई आक्षेप नहीं है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी उसे प्ररूप "घ" में सर्वेक्षण इकाई के अधिकार-अभिलेख में सम्मिलित करेगा। (2) इन नियमों के नियम 7 के अधीन प्रविष्टियों की बाबत आक्षेपों की दशा में सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी प्रभावित पक्षकारों और सांपत्तिक अधिकारों, क्षेत्रफल,

 में सम्मिलित करेगा।
(3) स्थायी अधिकार-अभिलेख के शीर्षक में, इसके साथ "आबादी देह" शब्द जोड कर राजस्व सम्पदा का हदबस्त नम्बर अन्तर्विष्ट होगा।
10. स्थायी अधिकार-अभिलेख का अंतरण और प्रेषण-- (1) धारा 11 की उ़प धारा (4) के अधीन यथा अंतिम रूप प्रदत्त स्थायी अधिकार-अभिलेख आबादी देह क्षेत्र में किसी सहजदृश्य स्थल पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 अंतरित किया जाएगा तथा जिला कार्यालय में अभिलेख को प्रेषित किया जाएगा।
 पटवारी के पास .पटवारखाने में अनुरक्षित किया जाएगा।

 नामांतरण प्ररूप "ड़" में दर्ज (प्रविष्ट) किया जाएगा।




 दी जाएगी।



 161899.10
14. विधिमान्यकरण,- सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों, निर्देशों या आदेशों के अनुसार केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा किसी आबादी देह में सीमा परिलक्षित करना और आबादी देह में सर्वेक्षण इकाई का सीमांकन करना विधिमान्य होगा और ऐसा कोई कृत्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर कि, यह अधिनियम या इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व कार्यान्वित किया गया था, प्रश्नगत नहीं होगा।

आदेश द्वारा,
(औंकार शर्मा)
प्रधान सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
पृष्ठांकन संख्या रैव बी०ए० (3)-9 / 2021, दिनांक:शिमला-2

$$
31-05-2022
$$

प्रतिलिपि प्रेषित है:-

1. समस्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त मण्डलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त उप-मण्डलाधिकारी(ना0), हिमाचल प्रदेश ।
6. सहायक विधि परामर्शदाता एवं अवर सचिव(विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
7. समर्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार, हिमाचल प्रदेश जो उप तहसीलों में कार्यरत हैं ।
8. कलर्क आफ कोर्ट, वित्तायुक्त(अपील), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
9. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 को राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

<br>सयुक्त सचिव(राजस्व).<br>हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(नियम 6 देखें)
क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुंक)
गांव का नाम $\qquad$ 3 हदबस्त संख्या.

आबादी देह, तहसील. $\qquad$ जिला

| 1 | 2 | $3 \cdots$ | 4 | 5 | 6 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| कम संख्या | सर्वेक्षण इकाई संख्या | मीटर में <br> आयात <br> सीमाएं: <br> पूर्व: <br> पश्चिम: <br> दक्षिणः <br> उत्तर: | कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में | संपत्ति* का प्रकार | टिप्पणियॉ / शुद्वियां और संशोधन, यदि कोई हो, अपील, पुनरीक्षण आदि में स्तंभ संख्या 2 से 5 तक लाल स्याही से दर्ज की जाएं। |

सर्वेक्षण अधिकारी m
*प्रकार-यदि घर, गली, दुकाने, संस्थागत भवन, खुला और सामान्य क्षेत्र, पथ आंदि।
टिप्पणी: आबादी देह का सर्वेक्षण नक्शा जिसमें सर्वेक्षण इकाई की संख्या को दर्शाया गया है, को इस प्ररूप के साथ प्रस्तुतु किया जाएगा।
(नियम 7 (iii) और 8 (1) दे खें)

गेव का नाम
3
ओबादी देह, तहसील

हदबस्त संख्या $\qquad$

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क्रम संख्या | स्वत्वधारी / स्वामी के नाम के साथ पिता /दादा/पति / पति के पिता का नाम और हिस्से की सीमा। | सर्वेक्षण <br> इकाई / उप-विभाजित <br> सर्वेक्षण इकाई संख्या | क्षेत्रफल वर्ग मीटर में | सैपपत्ति की किस्म | टिप्पणियॉ |

# प्ररूप-ग <br> (नियम 8 देखें) 

गांव का नाम $\qquad$ हदबस्त संख्या $\qquad$
(आबादी देह), तहसील $\qquad$ जिला $\qquad$

सेवा में,

सहायक अभिलेखन एवं समाधान अधिकारी
तहसील $\qquad$ ,जिला. $\qquad$ .1

विषय:- संर्वेक्षण इकाई संख्या: $\qquad$ के संबन्ध में आक्षेप

महोदय / महोदया,
आवेदक हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार-अभिलेख) अधिनियम, 2021 की धारा 11 और तदधीन विरचित नियमों के नियम 8 के सम्बन्ध में निम्नलिखित आक्षेप प्रस्तुत करता है (एक पर टिक करें) :-
(i) विभा (आयाम), माप, सीमा या क्षेत्र;
(ii) स्वामित्व/सांपत्तिक अधिकार; या
(iii) उपरोक्त दोनों।

आक्षेपों का संक्षिप्त विवरण;

## स्थानः

तारीख:
(आवेदक/आक्षेपकार्ता के हस्ताक्षर)
नाम (पहचान सबूत सहित);
पिता / पति का नाम, पूर्ण पता:

# प्ररूप-घ <br> (नियम 9 देखें) <br> (अधिकार-अभिलेख) 

गांव का नाम $\qquad$ हदबस्त संख्या $\qquad$ (आबादी देह).

तहसील $\qquad$ जिला

| 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| कम संख्या | संपत्ति पहचान | स्वत्वधारी / <br> स्वामी के | मुख्य <br> खसरा | सर्वेक्षण <br> इकाई | मीटरों <br> में | वर्ग क्षेत्रफल | मीटर |  | संपत्ति <br> की <br> किस्म | टिप्पणियां |
|  |  | नाम के साथ पिता/दादा /पति/ पति के पिता का नाम और हिस्से की सीमा। | नम्बर | /उप <br> खंड <br> सर्वेक्षण <br> इकाई <br> संख्या | आयाम | निर्मित क्षेत्र | $\begin{aligned} & \text { खुला } \\ & \text { क्षेत्र } \end{aligned}$ | कुल |  |  |

यह प्रमाणित किया जाता है कि सभी आवश्यक शुद्वियां कर दी गई हैं और अधिकारों-अभिलेख में प्रविष्टियां सभी प्रकार से पूर्ण और सही हैं।

सहायक अभिलेखन एवं समाधान अधिकारी

स्थानः
तारीख:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | 1 1harts <br>  <br> IntrpHer | Hffre fig <br>  14 10nt <br>  <br>  14 ＇tle 1ce 1 Hb ＇H1上 le $\operatorname{HfH}_{1}$ |  |  | 1 1．玉．tr今्रेकら InltpH： |  <br>  <br>  <br>  14 1313 ＇H1上 1c 10hl＇H1上 Le $H f 10 x$ | 1 1brth <br> l｜ 1 リアゴビf共 （2） Bl上Hep | $\begin{aligned} & 1 \text { 1Patin } \\ & 1+\dot{p} \end{aligned}$ |
|  |  |  |  | 1呆 He地此此 사의 |  |  |  |  |  <br>  <br> に |  |
| てし | い 10 | 6 |  | 8 | $L$ | G | $\dagger$ | $\varepsilon$ | 乙 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Authoritative English Text of this Department's notification number Rev-B-A(3)9/2021, Dated $31-05=-2022$ as required under article 348 (3) of the Constitution of India

Government of Himachal Pradesh
Department of Revenue
Dated: Shimla 171002, the $31-05-2022$

## NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 29 of the Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the said Act, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Rules, 2022,
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (eGazette), Himachal Pradesh.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires. -
(a) "Act" means the Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Act. 2021;
(b) "Field book" means the book maintained in Form "A" and shatl form part of the standing record of rights;
(c) "Form" means the Form appended to these rules:
(d) "section" means a section of the Act:
(e) "Sub-divided survey unit" means a part of a survey unit which forms a separate unit and has been numbered by a fraction of the principal number.
(2) Words and expressions, used herein and not defined, but defined in the Act shall carry the meanings respectively assigned to them in the Act.
3. Appointment of Survey Officer and Assistant Survey Officer.-(1) The Kanungo and Patwari serving under the Revenue Department shall be the Survey Officer and Assistant Survey Officer, respectively, to perform the functions of such officers under the Act.
(2) Where any of the acts and functions provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act are performed by a notified agency, such agency shall be deemed to be the Survey Officer for the acts and functions so performed.
(3) The Chief Recording and Resolution Officer may appoint more than one Survey Officer and Assistant Survey Officer as may be required for each abadi deh.
(4) In case more than one Survey Officer and Assistant Survey Officer have been appointed for any abadi deh, the Chief Recording and Resolution Officer shall specify the area of the abadi deh for which the survey is to be conducted by each such Survey Officer and Assistant survey Officer.
4. Village Committee.- To identify the ownership of survey units and common areas set apart for common purposes within the abadi deh the Village Committee comprising of not more than seven members in the following manner shall be nominated by the Assistant Recording and Resolution Officer:-
(a) In case of a village, the Pradhan of the Gram Panchayat, or concerned ward member of the Panchayat as his nominee; and in case of a Urban Local Body, the Mayor or Chairman of the Urban Local Body or concerned counselor or ward member of the Urban Local Body;
(b) The Numbardar of the village or the municipal area of which the standing record of rights is to be prepared;
(c) Any other respectable resident of the abadi deh of the village or municipal body considered proper.

Provided that atleast one woman and a person from scheduled caste category shall be included in Village Committee.
5. Measurement.- The base unit of measurement for the purposes of the Act and the rules shall be in meter system and the area of the survey unit shall also be mentioned in square meter.
6. Entry upon land, dwelling and habitation areas of survey units for preparation of standing record of rights.- (1) The officers under the Act and any person acting under their orders may, in the discharge of any duty under the Act enter upon land, dwelling and habitation areas of survey units with prior notice to the residents of the abadi deh area.
(2) The Survey Officer by,-
(i) proclamation in the village;
(ii) pasting a notice at conspicuous places in the abadi deh of a revenue estate or a urban local body; and
(iii) informing the Pradhan of the Gram Panchayat or mayor/Chairman/President of Urban Local Body; give due intimation and publicity of the date of his visit to the abadi deh area for the purpose of identifying the boundaries, demarcation, taking measurements and numbering of the survey units.
(3) The Survey Officer shall for the purpose of survey,-
(a) explain the procedure to be followed to the inhabitants in a general gathering;
(b) take measurements, demarcate the boundary and record the area of each survey unit on the map prepared under sub-section (2) of section 6 of the Act and record these in the field book in Form "A";
(c) number consecutively in serial order of the survey units in the abadi deh in numerals commencing from number 1 ; and
(d) mention of type of the survey unit such as house, street, shop, institutional building, open area, common area and path.
(4) In determining the area, boundary and type of survey unit, the Survey Officer may take into consideration such document or writing submitted by a person interested, which shows or determines boundary, area or type of the survey unit, and take measurements and prepare the record on its basis.
(5) The Survey Officer shall compile and submit the record prepared under this rule alongwith the field book in Form "A" to the Assistant Recording and Resolution Officer for preparing the standing record of rights.
7. Recording of rights of proprietors.- The Assistant Recording and Resolution Officer with the assistance of the Village Committee and after hearing the interested parties shall,-
(i) take into consideration such relevant and material document or writing, considered just and proper, submitted by a proprietor or person-interested, in support of his claim in the survey unit;
(ii) in case a survey unit is found to be sub-divided, mark the sub-divided part of the survey unit like $1 / 1,1 / 2,1 / 3,1 / 4 ; 2 / 1,2 / 2,2 / 3,2 / 4 ; 1 / 1 / 1,1 / 1 / 2,1 / 1 / 3,1 / 1 / 4$ and so on as may be considered suitable and proper, and record the area of each sub-divided survey unit; and
(iii) proceed to record in a summary manner and display at the conspicuous place in the abadi deh area in Form "B" the proposed entries of the proprietors and their proprietary rights in the survey units and sub-divided survey units as on the appointed day.
8. Resolution of objections.- (1) The survey map with demarcation, boundary and area of the survey unit prepared under rule 6 , and the record of entries of proprietors in a survey unit prepared under rule 7 in Form " B " shall for the purpose of inviting objections, if any, be displayed by the Assistant Recording and Resolution Officer at any one or more of the conspicuous places in the village like Panchayat Ghar, Village co-operative society, Patwar Khana, Dharamsala, community centre or common religious places in the village or Urban Local Bodies, as the case may be.
(2) Copies of the record under sub-rule (1) above shall be given to the Pradhan of the Gram Panchayat or the Mayor/Chairman/President of the Urban Local Body, through an official functionary against receipt.
(3) The objections, if any, filed under section 11 of the Act shall be filed before the Assistant Recording and Resolution Officer in Form "C".
(4) The objections received or filed shall be numbered in serial order in a separate register with the date of its receipt.
(5) The Assistant Recording and Resolution Officer on the expiry of thirty days of filing objections under sub-section (1) of Section 11 shall certify the number of objections received or filed and shall send a report in this regard to the Recording and Resolution Officer.
(6) The Assistant Recording and Resolution Officer shall consider the objections, conduct such inquiry as he thinks fit and pass a speaking order under sub-section (2) Section 11 in respect of each objection.
(7) Any correction or amendment made in the area, boundary or dimension of a survey unit while passing an order under sub-rule (6) above shall be incorporated by the Assistant Recording and Resolution Officer in red ink in the field book in Form "A".
9. Finalisation of record of rights.-(1) In case there is no objection to the entries recorded under rule 7 of these rules, the Assistant Recording and Resolution Officer shall incorporate them in the record of rights of the survey unit in Form "D".
(2) In case of objections to the entries under Rule 7 of these rules. the Assistant Recording and Resolution Officer after hearing the affected parties and disposing the objections regarding recording of proprietary rights, area. boundary, dimensions or sub-division, if any, shall incorporate them in the record of rights of the survey unit in Form "D" in accordance with the decision reached at.
(3) The heading of the standing record of rights shall contain the hadbast number of the revenue estate by suffixing to it the words, "abadi deh".
10. Transfer and Consignment of standing record of rights.-(1) The standing record of rights as finalized shall be displayed at conspicuous place in the abadi deh area under subsection (4) of section 11.
(2) The record under sub-rule (1) shall be transferred to the District Collector under section 15 of the Act and shall be consigned to record in the district office.
(3) One set of the record of rights finalized under rule 9 in Form " $D$ " shall be maintained with the patwari at the patwarkhana.
11. Form for mutation of rights.- The mutation of acquisition of rights in a survey unit by inheritance, succession, purchase, mortgage or otherwise on being reported to the revenue patwari shall be entered in Form "E".
12. Correction of clerical errors and arithmetical mistakes.-Cferical or arithmetical errors, in orders or proceedings may at any time be corrected by the Recording and Resolution Officer or the Assistant Recording and Resolution Officer who passed the order or by his successor either on his own motion or on the application of any party, and an intimation of such correction shall be made to the parties free of any charges and also to the officer concerned for its implementation.
13. Supply of copies.- The procedure as applicable for inspection of record of cases, and issuance of copies of documents in respect of proceedings under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) shall apply mutatis mutandis to proceedings in respect of the standing record of rights under the Act and these rules.
14. Validation.-The survey conducted and the mapping done by an agency of the Central or the State Government for identifying the boundary of an abadi deh and demarcating the survey units within the abadi deh in accordance with the instructions. directions or orders issued by the Government from time to time shall be valid and no such act or proceeding
shall be questioned merely on the ground that it had been carried out before the commencement of the Act or these rules. $\therefore \quad \therefore \quad+A_{0}$

Endst.No.Rev.B.A.(3)-9/2021. Dated:Shimla-2, the
Copy forwarded to:-

1. Administrative Secretaries to the Government of H.P.
2. All the Divisional Commissioners in H.P.
3. All the Heads of Departments in H.P.
4. All the Deputy Commissioners in H.P.
5. All the Sub-Divisional Officer(Civil) in H.P.
6. The A.L.R-cum-Under Secretary(Law)to the Government of H.P.
7. All Tehsildars/Naib Tehsildars posted in Tehsils and sub-Tehsils. in H.P.
8. Clerk of Court to the F.C.(Appeal), Govt. of H.P. Shimla-2.
9. The Controller, Printing and Stationary, H.P. Government Press. Shimla-5 for publication in the H.P. Government Gazette (Extraordinary).
10. Guard file.
(Anil Chauplany
Joint Secretary(Revenue)to the Government of Himachal Pradesh.

## Form A

(See rule 6)
(Field Book)

Name of Village $\qquad$ H.B. No. $\qquad$ Abadi Deh, Tehsil District $\qquad$ .

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Sr. No. | Survey unit <br> Number. | Dimensions <br> in metres. <br> Boundaries <br> East: <br> West: <br> South: <br> North: | Total Area <br> in square <br> metres. | Type of <br> property.* | Remarks/Corrections <br> and amendments, if any. <br> made to columns 2 to 5 <br> in appeal, revision etc. to <br> be recorded in red ink. |

## Survey Officer

* Type-whether house, street, shop. institutional building, open area. common area. path etc.

Note: The survey map of the abadi deh depicting the number of the survey unit shall be submitted with this Form.

## Form B

[See rules 7 (iii) and 8 (1)]
Name of Village $\qquad$ H.B. No. $\qquad$ Abadi Deh,

Tehsil District

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Sr. <br> No. | Name of Proprietor/Owner with <br> father/grand-father's/ husband/ $/ 2$ <br> husband's father name and <br> extent of share. | Survey <br> unit/Sub- <br> Divided <br> Survey <br> Unit No. | Area in <br> Square <br> metres. | Type of <br> property. | Remarks |

Survey Officer

# Form C <br> (See rule 8) 

## Name of Village

$\qquad$ , H.B. No. $\qquad$ (Abadi Deh),

Tehsil $\qquad$ , District $\qquad$ .

To
The Assistant Recording and Resolution Officer
Tehsil $\qquad$ , District $\qquad$ .

Subject: - Objections with regard to Survey Unit No. $\qquad$ .

Sir/Madam,
The applicant in terms of section 11 of the Himachal Pradesh Abadi Deh (Record of Rights) Act, 2021 and rule 8 of the rules framed thereunder submits the following objection (s) in relation to (tick one): -
(i) Dimensions, measurement, boundary or area;
(ii) Ownership/Proprietary rights; or
(iii) Both the above.

Brief description of the objections:
Place:

Date:
(Signature of the applicant/objector)
Name (with ID proof):
Father's/Husband's Name:
Complete Address:

## Form D

(See rule 9)
[Record of Rights]

Name of Village $\qquad$ H.B. No. $\qquad$ (Abadi Deh), Tehsil $\qquad$ District $\qquad$


It is certified that all necessary corrections have been made and entries in the record of rights are complete and correct in all respects.

Assistant Recording and Resolution Officer
Place:
Date:

$$
-9-
$$

## Form E

## (See rule-11)

## [Register of Mutations]

|  |  | Register of mutations of Village.........H.B No......(Abadi Deh) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - 10 | 11 | 12 |
|  | Entry in last Jamabandi which is proposed to be corrected/substituted |  |  |  | New entry which is proposed to be incorporated |  |  |  |  |  |  |
| Serial No. | No. of holding as in Current Jamabandi | Owners name; father's name; grand father's name/ husband's name; husband's father name, extent of share. | Survey Unit No. | Area <br> and <br> type. <br> (in sq. <br> metres) | No. of holding in new Jamabandi | Owners name; father's name; grand father's name/ husband's name; husband's father name, extent of share. | Survey <br> Unit No. | Area in Square meters and type | Nature and date of transfer, with price in case of sale and amount of mortgage debt in case of mortgage. | Mutation fee. | Reports and orders. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

